हिन्दुस्तान 22 दिसम्बर 2013

बिहार में वासभूमि का अधिकारः स्थिति, मुद्दे और चुनौतियां विषय पर कार्यशाला, वास की भूमि के मुद्दे को महत्वपूर्ण बताया

'गया बन सकता है बासगीत आन्दोलन का मॉडल'

गया | हिन्दुस्तान टीम

भूमिहीनों को जमीन का पर्चा देकर बसाने के मामले में गया की ऐतिहासिक भूमिका रही है। वर्तमान में यहां पर्चा-परवाना देकर भूमिहीन महादलितों को आवासीय जमीन दिलाने की जो प्रक्रिया चल रही है, वह पूरे राज्य के लिए मॉडल बन सकता है। ये बातें भारत सरकार के पूर्व सचिव केबी सक्सेना ने शनिवार को 'बिहार में वासभूमि का अधिकारः स्थिति, मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान कहीं।

देशकाल सोसाइटी और अन्य संस्थाओं की ओर से आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने की। श्री सक्सेना ने कहा कि गया में भूमि पर न्यायपूर्ण अधिकार के लिए सहजानंद सरस्वती के जमाने से बेहतर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि वास की भूमि का मुद्दा सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बना कानून देश में सबसे अच्छा कानून है लेकिन अफसोस की बात है कि इसका कार्यान्वयन उतना ही लचर है।

उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनती। उन्होंने इस कानून के पूरी तरह लागू होने की रुकावटों का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक ढांचा के कारण भी इस पर सही तरीके से अमल नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि बसने वालों को कानून की जानकारी नहीं होती।

कार्यशाला में पुस्तक के विमोचन के मौके पर मौजूद प्रधान सचिव, डीएम व अन्य लोग।

ऐसे लोग उजड़ने के डर से सालों साल तक बंधुआ मजदूर बने रहे।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रशासनिक अधिकारियों को अधिक लगाव रखने की जरूरत है क्योंकि सारा भार लाभार्थी पर छोड़ देना किसी तरह से सही नहीं है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि लाभार्थी के लिए यह बहुत मुश्किल होता है कि दिन भर की मजदूरी छोड़कर वह जमीन लेने की प्रक्रियाओं में उलझा रहे।

उन्होंने कहा कि पर्चा पाने के पहले की प्रक्रिया इतनी जटिल और थकाऊ है कि लाभार्थी टूट जाता है। श्री सक्सेना ने कहा कि पर्चा लेने के बाद कब्जा लेना भी लाभार्थी के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में गया में जो काम गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है वह पूरे राज्य के लिए मॉडल बन सकता है।

उन्होंने कहा कि विस्थापन के साथ ही बासगीत की समस्या भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश काल में जंगल का प्रतिशत अस्सी था। अंग्रेजों ने इन जंगलों को कटवाकर खेत बनाने के लिए आदिवासियों और दलितों को लाकर उन इलाकों में बसाया लेकिन ऐसे बसने वालों को कानूनी अधिकार नहीं मिला। उनका उस जमीन पर बसे रहना जमींदारों की मर्जी पर था। इस मौके पर अपने स्वागत भाषण में देशकाल सोसाइटी के संजय कुमार ने कहा कि बासगीत के बारे में एक्ट सरल है और इसे लागू करने के लिए बहुत साधन की जरूरत नहीं। उन्होंने बताया कि समस्या यह है कि जमीन के दस्तावेज दुरुस्त नहीं और राजस्व नक्शे भी नहीं मिलते। उन्होंने इस संबंध में बनने वाले कानून का संग्रह तैयार करने की जरूरत है। इस मौके पर बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी ने अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन राजेश्वर सिंह ने किया।

प्रधान सचिव ने कहा

- भूमि पर न्यायपूर्ण अधिकार के लिए सहजानंद के जमाने से हुआ है काम
- विस्थापन के साथ ही बढ़ी है बासगीत की समस्या

कोई परिवार बिना बासगीत जमीन के न रहे : डीएम

गया। जिलाधिकारी बालामुरुगन डी ने वहां मौजूद गैर सरकारी संगठन के सदस्यों और भूमि सुधार उप समाहर्ताओं से संकल्प लेने को कहा कि ऐसा प्रयास करें कि तीन अक्टूबर 2014 तक जिले में एक भी परिवार बिना बासगीत भूमि के न रहे। डीएम वासभूमि पर अधिकार को लेकर आयोजित कार्यशाला में बतौर विशिष्ट अतिथि यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिला के डेढ़ सौ साल पूरा होने पर पूरा प्रयास होगा कि हर परिवार के पास अपना घर बनाने लायक जमीन हो जिसपर उनका कब्जा रहे।

डीएम ने गैर सरकारी संगठन के सहयोग की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े के मद्देनजर काम कराया गया है।

वास भूमि के लिए फॉर्म को सरल बनाया जाएगा : व्यासजी

गया। बासगीत भूमि के लिए भरे जाने वाले फॉर्म को आसान बनाया जाएगा। यह घोषणा राज्य के भूमि सुधार व राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने शनिवार को यहां एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए की।

बिहार में वासभूमि पर अधिकार के मुद्दे पर आयोजित कार्यशाला में बासगीत भूमि के लिए निर्धारित फॉर्म की जटिलता की बात को स्वीकारते हुए कार्यक्रम की आयोजक संस्था से इस बारे में सुझाव मांगे।

उन्होंने कहा कि अठारह जनवरी को एएन सिंहा इंस्टीट्यूट में आयोजित होने वाली कार्यशाला में विशेष चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस फॉर्म को भरने के लिए इक्कीस बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें से कई जानकारी का बासगीत भूमि लेने के लिए कोई मतलब नहीं। उन्होंने इस फॉर्म की अनुपलब्धता को दूर करने का भी आश्वासन दिया।

श्री व्यासजी ने कहा कि बहुत से ऐसे सर्किल इंस्पेक्टर और सर्किल अफसर हैं जिन्हें बासगीत जमीन के कानून की जानकारी नहीं। जरूरत है उन्हें ट्रेनिंग देकर इस काम के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए विभिन्न कानूनों का संग्रह तैयार करने में संगठन की मदद मांगी ताकि एक गाइडलाइन तैयार हो सके।

30 साल में नहीं बदला दुर्वे में बासगीत भूमि का हाल

गया। चंदौती थाने के दुर्वे गांव में तत्कालीन बीडीओ राय मदन किशोर ने कुछ परिवारों को बासगीन जमीन का पर्चा दिलाया था लेकिन आज तीस साल के बावजूद उन परिवारों को उस पर दखल कब्जा बरकरार नहीं है। भूमि सुधार एवं राजस्व के मौजूदा प्रधान सचिव उस समय प्रशिक्षु आईएएस थे।

उन्होंने 1983 की उस घटना को याद दिलाते हुए बताया कि तब तो बासगीत भूमि पर कब्जा दिलाना और मुश्किल था। प्रशासन ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से महादलित परिवार के लोगों के हाथ फावड़ा देकर उन खेतों के मेड़ काटने के लिए तैयार किया।

उस समय तो उन्हें उस जमीन पर कब्जा दिला दिया गया लेकिन धीरे-धीरे फिर दबंगों ने उन पर कब्जा जमा लिया। व्यासजी ने बताया कि उस समय जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमीन दिलाने में अहम भूमिका निभायी थी, उनमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता के बेटे की हत्या कर दी गयी थी।

उन्होंने कहा कि आज भी इस कार्य के लिए सामाजिक संगठनों की भागीदारी बेहद जरूरी है।

प्रभात खबर गया 22 दिसम्बर 2013

सरल होगी भूमि अधिकार की प्रक्रिया : व्यासजी

बासभूमि का अधिकार स्थिति, मुद्दे व चुनौतियां विषय पर रखे विचार

सूबे में बनेगी नयी भूमि नीति, गाइडलाइन के प्रति जागरूकता जरूरी

मुख्य संवाददाता, गया

रेनेसांस में देशकाल सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यशाला में पुस्तक का विमोचन करते केंद्र सरकार के पूर्व सचिव प्रो केवी सक्सेना. साथ हैं जिलाधिकारी बाला मुरुगन डी, बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी, बाराचट्टी की विधायक ज्योति मांझी व अन्य. ■ फोटो। प्रभात खबर

सूबे में भूमि पर गरीबों, भूमिहीनों व दलितों को अधिकार मिले, जमीन पर वास कर रहे दलित बेदखल न हों, परचा व परवाना के लिए कार्यालयों का चक्कर न काटना पड़े. इसके लिए नयी भूमि नीति बनायी जायेगी. भूमि अधिकार की प्रक्रिया सरल बनाने की कवायद चल रही है. दलितों को निवास व भूमि पर अधिकार को लेकर 18 जनवरी, 2014 को दलित अधिकार मंच, देशकाल सोसाइटी के साथ बैठक रखी गयी है. इसमें रोड मैप तैयार किया जायेगा. बैठक में गरीबों को भूमि दिलाने से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की जायेगी. ये बातें भूमि सुधार व राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने कहीं. वह रेनेसांस में शनिवार को बिहार में बासभूमि का अधिकार, स्थिति, मुद्दे व चुनौतियां विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक भूमि सुधार कानून की गाइडलाइन से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं. अफसोस की बात है कि वैसे अधिकारी को भी सीओ बनाया गया है, जिन्हें अपना काम व अधिकार पता नहीं है. यह एक जिम्मेवार पद है. गाइडलाइन को डेवलप करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जागरूकता की बड़ी कमी है. प्रखंड मुख्यालयों में जागरूकता को लेकर फ्लेक्स बोर्ड लगवाये जायेंगे. लैंड रेकॉर्ड डिजीटल किये जा रहे हैं. 2015 तक भूमि पर कब्जे से संबंधित सभी काम पूरे कर लिये जायेंगे.

भूमि मुक्ति आंदोलन की धरती

इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के पूर्व सचिव प्रो केवी सक्सेना ने कहा कि गया पुराने समय से संघर्ष की धरती रही है. सहजानंद सरस्वती से लेकर बोधगया भूमि मुक्ति आंदोलन की गाथा इसके उदाहरण हैं. भूमि पर गरीबों, भूमिहीनों व दलितों को न्याय का अधिकार मिले. हालांकि यह समस्या देशव्यापी है. पर, आंदोलनों की धरती रही गया से ही बासगीत आंदोलन की शुरुआत करनी होगी. एक वर्क फोर्स का गठन कर सरकार के कामकाज के साथ जोड़ कर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा आजादी के बाद बिहार ही वह धरती है, जहां के भूमि अधिकार कानून देश के लिए मॉडल साबित हुआ. भूमि अधिकार कानून अच्छा है, पर इसका क्रियान्वयन लचर है. लोगों को अधिकार देना होगा, कानून बना देने मात्र से काम नहीं चलनेवाला है.

एक भी मामला नहीं रहेगा पेंडिंग

डीएम बाला मुरुगन डी ने कहा-' गया की स्थापना के डेढ़ सौ साल तीन अक्तूबर, 2014 को पूरे होने जा रहे हैं. संकल्प के साथ कहता हूं कि गया में भूमि संबंधी एक भी केस पेंडिंग नहीं रह जायेगा. सिविल सोसाइटी व प्रशासन मिल कर इस दिशा में काम करेंगे. उन्होंने कहा कि बेदखली की शिकायत वाले स्थान पर कार्रवाई हो रही है. सर्वे का काम जिले में दो चरणों में हुआ. पहले चरण में 16595 व दूसरे चरण में 539 परचाधारियों को दखल कब्जा दिलाया गया है. इस मौके पर देशकाल सोसाइटी के सचिव संजय कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया. अतिथियों ने 'बिहार में बासभूमि और आवास का अधिकार, स्थिति, मुद्दे व चुनौतियां' नामक प्रकाशित किताब का विमोचन भी किया.

अस्तित्वहीन हैं बेघर लोग

इधर, कार्यशाला में बाराचट्टी की विधायक ज्योति देवी, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर पैक्स, दिल्ली के राजपाल, प्रखंड ग्राम स्वराज सोसाइटी के बालेश्वर प्रसाद, ग्राम निर्माण केंद्र की पूर्व जिला पार्षद पुतुल कुमारी, देशकाल के उमेश मांझी व लोकशक्ति शिक्षण केंद्र, परैया के सचिव रामस्वरूप भाई ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये. कार्यशाला दो सत्रों में हुई. इसकी शुरुआत देशकाल सोसाइटी के सचिव संजय कुमार ने की. उन्होंने कहा कि वजीरगंज, अतरी, परैया व मोहनपुर प्रखंडों में उनकी संस्था जमीन के मामलों पर काम कर रही है.

भूमिहीनों के लिए चल रहीं योजनाएं : सक्सेना

रिपोर्ट की प्राथमिकता देगी राज्य सरकार : ब्यासजी, कार्यशाला में पुस्तक का विमोचन

गया कोर्ट (एसएनबी)। देशकाल सोसायटी, ग्राम निर्माण केंद्र, लोकशक्ति शिक्षण संगठन, प्रखंड ग्राम स्वराज्य सभा के संयुक्त प्रयास से रेनेसां, एपी कॉलोनी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव बयास जी, भारत सरकार के पूर्व सचिव प्रो. केबी सक्सेना, जिला पदाधिकारी बाला मुरूगन डी, पीएसीएस, दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यक्रम पदाधिकारी राजपाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा बिहार में बासभूमि का अधिकार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री सक्सेना ने कहा कि देश में भूमिहीन की सहायता के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही है।

मंचासीन मुख्य अतिथि व अन्य।

कार्यशाला में भाग लेते लोग।

सामाजिक संगठन का दायित्व है कि वे भूमिहीन को हरसंभव सहायता प्रदान करने में आगे आये। विशिष्ट अतिथि प्रधान सचिव बयास जी ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीनों के लिए सामाजिक संगठन के सुझाव को प्राथमिकता से दूर करेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कराये गये सर्वो रिपोर्ट का 80 प्रतिशत जांचपड़ताल पूरी हो गयी है। कार्यक्रम पदाधिकारी राजपाल ने कहा कि जिले के वजीरगंज, अतरी, परैया, मोहनपुर प्रखंड में 6807 भूमिहीन का सूची तैयार कर शासन-प्रशासन के पास भेजा गया है। कार्यशाला में प्रोजेक्ट कोडिनेटर नारायण कुमार ने जिले में चल रहे सर्वेक्षण कार्य का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन देशकाल सोसायटी के संजय कुमार ने किया।

बासभूमि का अधिकार और चुनौती पर परिचर्चा

22-12-2013

देशकाल सोसायटी के कार्यशाला में मंचासीन प्रधान सचिव व अन्य अधिकारी

गया, नगर प्रतिनिधि : रेनसांस के सभागार में शनिवार को देशकाल सोसाइटी के तत्वावधान में एक कार्यशाला सह पुस्तक विमोचन किया गया। कार्यशाला का विषय बिहार में बासभूमि और आवास का अधिकार, स्थिति, मुद्दे और चुनौतियां थी।

विषय प्रवेश करते हुए संजय ने कहाकि स्वयंसेवी संगठन और जिला प्रशासन के सहयोग से लगातार कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के पूर्व सचिव प्रो. के.बी. सक्सेना ने कहा कि कानून बना देने और अधिकार दे देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने बिहार में अपने काल के दौरान व्यक्तिगत अनुभव बताया। हर जिले में वासभूमि पर्चा जितनी वितरित की गई है। ये तभी पूर्ण रूपेण से सफल होगा। प्रशासन संवेदशनशील होकर कार्य करें। इस मौके पर डीएम बाला मुरूगन डी ने कहा कि पहले चरण में 16 हजार 595 एवं द्वितीय चरण में 539 पर्चा का वितरण किया गया है। जिले के कई प्रखंडों में 80 प्रतिशत पर्चा बांटा गया है। 30 अक्टूबर 14 तक पूर्ण रूपेण पर्चा वितरित कर दिया जाएगा।

दैनिक जागरण 22 दिसम्बर 2013

2

घर से ही आदमी की पहचान

गया। स्थानीय रेनेसां के सभागार में बिहार में वासभूमि का अधिकार विषय पर कार्यशाला और पुस्तक का लोकार्पण शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन देशकाल सोसायटी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि प्रो. केबी सक्सेना, पूर्व सचिव, भारत सरकार, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गया के जिलाधिकारी बाला मुरुगन डी, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर राजपाल, बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी व संजय भाई ने हिस्सा लिया व पुस्तक का लोकार्पण किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि घर से ही आदमी की पहचान होती है। बिना घर के कोई पहचान नहीं है। वहीं विधायक ज्योति मांझी ने कहा कि एक समय था जब उनके पास रहने को घर नहीं था। सरकार द्वारा दिये गये वास भूमि पर श्रीविधि से अन्न उपज करते हुए वे आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 3 डिसमील जमीन से लोगों का गुजर-बसर नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को और अधिक जमीन देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में व्यास जी द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा वास भूमि संबंधी दिशा निर्देश व 18 जनवरी को होने वाले कार्यशाला की जानकारी दी गयी। डीएम द्वारा यथाशीघ्र शिविर का आयोजन कर परचा वितरण करने की घोषणा की गयी। मौके पर पुतुल कुमारी, बालेश्वर मांझी, उमेश मांझी व अन्य वक्ताओं ने अपनी बातें रखीं।

सन्मार्ग, 22 दिसम्बर 2013

घर से ही आदमी की पहचान

गया। स्थानीय रेनेसां के सभागार में बिहार में वासभूमि का अधिकार विषय पर कार्यशाला और पुस्तक का लोकार्पण शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन देशकाल सोसायटी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि प्रो. केबी सक्सेना, पूर्व सचिव, भारत सरकार, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गया के जिलाधिकारी बाला मुरुगन डी, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर राजपाल, बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी व संजय भाई ने हिस्सा लिया व पुस्तक का लोकार्पण किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि घर से ही आदमी की पहचान होती है। बिना घर के कोई पहचान नहीं है। वहीं विधायक ज्योति मांझी ने कहा कि एक समय था जब उनके पास रहने को घर नहीं था। सरकार द्वारा दिये गये वास भूमि पर श्रीविधि से अन्न उपज करते हुए वे आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 3 डिसमील जमीन से लोगों का गुजर-बसर नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को और अधिक जमीन देनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में व्यास जी द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा वास भूमि संबंधी दिशा निर्देश व 18 जनवरी को होने वाले कार्यशाला की जानकारी दी गयी। डीएम द्वारा यथाशीघ्र शिविर का आयोजन कर परचा वितरण करने की घोषणा की गयी। मौके पर पुतुल कुमारी, बालेश्वर मांझी, उमेश मांझी व अन्य वक्ताओं ने अपनी बातें रखीं।

सन्मार्ग, 22 दिसम्बर 2013